



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 986]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 26, 2016/वैशाख 6, 1938

No. 986]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 26, 2016/VAISAKHA 6, 1938

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2016

का.आ. 1499 (अ).-मंत्रिमंडल की दिनांक 06 जनवरी, 2016 को हुई बैठक के कार्यवृत्त द्वारा दिये गये अनुमोदन के अनुसरण में केंद्र सरकार स्टैंड-अप इंडिया स्कीम के अंतर्गत प्रदान किये गये ऋणों को गारंटी प्रदान करने के उद्देश्य से एतद्वारा निम्नलिखित योजना बनाती है।

बध्नाय ।

प्रस्तावना

1. नाम और आरंभ होने की तारीख

- (i) इस योजना को स्टैंड अप इंडिया ऋण गारंटी स्कीम (सीजीएसएसआई) के रूप में जाना जाएगा।
- (ii) यह भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होगी।
- (iii) इस निधि का व्यापक उद्देश्य स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों तथा अन्य उधारदात्री संस्थाओं द्वारा स्वीकृत 10 लाख रुपए से अधिक और 100 लाख रुपए तक की ऋण सुविधा को गारंटी प्रदान करना होगा।

2. ब्याज दर

उधारदात्री संस्था के सदस्य द्वारा प्रभारित ब्याज दर इस श्रेणी (रेटिंग के अनुसार) के लिए प्रयोज्य निम्नतम दर होनी चाहिए और किसी भी मामले में ऋण के लिए ब्याज दर, आधार दर + परिपक्वता प्रीमियम, यदि कोई हो, से 3% प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3. परिभाषाएं

इस योजना के प्रयोजन हेतु -

- (i) "स्टैंड अप इंडिया स्कीम" भारत सरकार द्वारा तैयार की गयी और अनुमोदित एक ऋण देने की योजना।

- (ii) **“चूक राशि”** का अर्थ खाते के एनपीए बनने की तारीख या दावा आवेदन दर्ज करने की तारीख, जो भी कम हो, और वह तारीख जिसे एनसीजीटीसी द्वारा मद संख्या 10 में उल्लेख किए गए अनुसार प्रतिभूति अधिकतम राशि के अध्यक्षीन गारंटी कवर के प्रति कोई दावा करने के लिए निर्धारित किया जाए, को सावधि ऋण के संबंध में उधारकर्ता के खाते में बकाया मूलधन राशि और ब्याज की राशि तथा (ब्याज सहित) कार्यकारी बकाया पूंजीगत सुविधाएं हैं।
- (iii) उधारदात्री संस्थाओं के लिए **“आधार दर”** का अर्थ भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार समय-समय पर उधारदात्री संस्था द्वारा घोषित आधार दर हैं, जिसके आधार पर ऋण के लिए प्रयोज्य ब्याज दर निर्धारित की जाएगी।
- (iv) ऋण सुविधा के संबंध में **“प्राथमिक प्रतिभूति”** का अर्थ इस प्रकार प्रदत्त ऋण सुविधा से सृजित आस्तियां/या मौजूदा ऋण भार रहित आस्तियां, जो परियोजना या व्यवसाय, जिसके लिए ऋण सुविधा दी गई है, से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध हो, होंगी।
- (v) **“संपार्श्विक प्रतिभूति”** का अर्थ प्राथमिक प्रतिभूति/उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता के व्यक्तिगत दायित्व के अतिरिक्त उपलब्ध प्रतिभूति है।
- (vi) **“पात्र उधारकर्ता”** का अर्थ गैर-कृषि क्षेत्र में ग्रीन फील्ड उद्यम स्थापित करने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा) तथा महिला उद्यमी हैं। गैर-व्यक्तिगत उद्यमों के मामले में 51% शेयरधारिता तथा नियंत्रक शेयर अजा/अजजा तथा/या महिला उद्यमी के पास होना चाहिए।
- (vii) **“निधि”** का अर्थ ग्रीन फील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए विशेष रूप से अजा/ अजजा/महिलाओं (तुलनात्मक रूप से जनसंख्या के वंचित वर्ग) को 10 लाख रुपए से अधिक की सहायता के लिए गारंटी प्रदान करने के प्रयोजन से भारत सरकार द्वारा स्थापित ‘स्टैंड अप इंडिया ऋण गारंटी निधि’ (सीजीएफएसआई) है।
- (viii) **“गारंटी कवर”** का अर्थ उधारदात्री संस्थाओं द्वारा प्रदत्त ऋण सुविधा के संबंध में प्रति पात्र उधारकर्ता की चूक राशि के लिए उपलब्ध अधिकतम कवर है।
- (ix) **“पात्र उधारदात्री संस्था(एं)”** का अर्थ निधि द्वारा निर्धारित मानदंड पूरा करने वाले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं जिनकी ऋण अपेक्षा निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है। सहायता की निर्धारित सीमा कार्यकारी पूंजी संघटक सहित 10 लाख रुपए से अधिक और 100 लाख रुपए तक की राशि या ऐसी राशि, जिसे समय-समय पर निधि द्वारा निर्धारित किया जाए, है।
- (x) **“नियत तारीख”** का अर्थ वह तारीख है जिस तारीख को उधारदात्री संस्था द्वारा पात्र उधारकर्ता के संबंध में कवर की गयी राशि संबंधी प्रतिभूति शुल्क निधि को देय हो।
- (xi) **“ऋण सुविधा”** का अर्थ पात्र उधारदात्री संस्था द्वारा पात्र उधारकर्ता को दिया गया सावधि ऋण तथा/या निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित कार्यकारी पूंजी (अर्थात् बैंक गारंटी, साख पत्र आदि) सुविधाएं हैं।
- (xii) **“अनर्जक आस्ति”** का अर्थ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों तथा दिशानिर्देशों के आधार पर अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत आस्ति है।
- (xiii) **“स्कीम”** का अर्थ ‘स्टैंड अप इंडिया ऋण गारंटी स्कीम’ है।
- (xiv) **“अवरुद्धता अवधि”** का अर्थ वह अवधि है जिसके दौरान कोई गारंटी लागू नहीं की जा सकती। गारंटी कवर आरंभ होने की तारीख या ब्याज अधिस्थगन अवधि की समाप्ति, जो भी बाद में हो, की तारीख से 18 महीने की अवरुद्धता अवधि निर्धारित की गयी है।
- (xv) **“एनसीजीटीसी”** का अर्थ कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत विभिन्न ऋण गारंटी निधियों को संचालित करने के लिए न्यासी के रूप में भारत सरकार द्वारा 28 मार्च, 2014 को स्थापित राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यास कंपनी, भारत सरकार द्वारा स्थापित/समय-समय पर स्थापित की जाने वाली कंपनी है।

तदनुसार, सीजीएफएसआई के परिचालन से संबंधित सभी मामलों के संबंध में कार्रवाई उक्त निधि न्यास की ओर से एनसीजीटीसी द्वारा की जाएगी।

बध्याय II**स्कीम का क्षेत्र और विस्तार****4. निधि द्वारा गारंटी**

- (i) स्कीम के अन्य उपबंधों के अध्यक्षीन यह निधि पात्र उधारदात्री संस्थाओं, जिन्होंने इस प्रयोजन हेतु निधि के साथ अपेक्षित समझौता किया है, द्वारा पात्र उधारदाता को दी गयी ऋण सुविधाओं के संबंध में उधारदात्री संस्थाओं द्वारा दी गयी स्टैंड अप इंडिया ऋण सुविधाओं के पुनर्भुगतान में चूक के प्रति गारंटी प्रदान करने का वचन देती है।
- (ii) इस निधि को उधारदात्री संस्थाओं द्वारा संदर्भित किसी प्रस्ताव, जो अन्यथा स्कीम के अन्य मानदंडों को पूरा करते हों, को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का विवेकाधिकार प्राप्त है।

5. स्कीम के अंतर्गत स्टैंड अप सहायता पात्रता

यह न्यास बिना किसी संपार्श्विक प्रतिभूति और/या अन्य पक्ष गारंटी या न्यास द्वारा समय-समय पर निर्धारित ऐसी राशि के बिना न्यास के साथ समझौता करने पर यह इसके पश्चात् एकल पात्र उधारकर्ता को पात्र उधारदात्री संस्थाओं द्वारा प्रदत्त कार्यकारी पूंजी सहित 10 लाख रुपए से अधिक और 100 लाख रुपए तक की सहायता कवर करेगा।

बशर्ते कि नियत तारीख के अनुसार,

- (i) उधारदात्री संस्था को देय राशि अशोध्य अथवा वसूली हेतु संदिग्ध न हो गई हो; और/या
- (ii) उधारकर्ता के व्यवसाय अथवा कार्यकलाप, जिसके लिए ऋण सुविधा प्रदान की गयी थी, को जब्त न किया गया हो; और/या
- (iii) न्यास से इस संबंध में पूर्व सहमति प्राप्त किए बिना ऋण सुविधा का प्रयोग अशोध्य या वसूली हेतु संदिग्ध किसी ऋण के समायोजन हेतु पूर्णतः या आंशिक रूप से प्रयोग न किया गया हो।

6. निम्नलिखित स्थितियों में स्टैंड अप इंडिया सहायता स्कीम के अंतर्गत पात्र नहीं है

निम्नलिखित ऋण सुविधाएं स्कीम के अंतर्गत गारंटी दिए जाने हेतु पात्र नहीं होंगी:-

- (i) निक्षेप बीमा तथा ऋण गारंटी निगम या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित/अभिशासित किसी योजना के अंतर्गत कोई ऋण सुविधा, जिस सीमा तक उन्हें कवर किया गया है, के संबंध में जोखिम को अतिरिक्त रूप से कवर किया गया हो।
- (ii) कोई ऋण सुविधा जिसके संबंध में सरकार या किसी साधारण बीमाकर्ता या कोई अन्य व्यक्ति या लोगों के संघ द्वारा बीमा व्यवसाय करने, उन्हें कवर की गई सीमा तक दी गई गारंटी या क्षतिपूर्ति के द्वारा जोखिम को अतिरिक्त रूप से कवर किया गया हो।
- (iii) कोई ऋण सुविधा जो किसी नियम के अनुरूप न हो या किसी प्रकार से किसी कानून के उपबंधों के अनुरूप न हो या भारत सरकार अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उस समय लागू किसी निदेश या अनुदेश के अनुरूप न हो।
- (iv) किसी उधारकर्ता, जिसने इस स्कीम के अंतर्गत या उपर्युक्त खंड (i), (ii) तथा (iii) में उल्लिखित योजना के अंतर्गत शामिल कोई सम्मिश्र ऋण लिया हो और जिन मामलों में उधारदात्री संस्था ने न्यास द्वारा या उपर्युक्त खंड (i), (ii) तथा (iii) के अंतर्गत प्रदत्त गारंटी का उपयोग किया हो, परन्तु न्यास को या उपर्युक्त खंड (i), (ii) तथा (iii) में उल्लिखित योजनाओं के अंतर्गत उक्त सम्मिश्र ऋण के संबंध में उधारकर्ता की किसी चूक के कारण देय राशि के किसी भाग का भुगतान न किया हो, जैसा भी मामला हो, को प्रदत्त ऋण सुविधा।
- (v) कोई ऋण सुविधा जो संपार्श्विक प्रतिभूति और/या अन्य पक्ष गारंटी के प्रति उधारदात्री संस्था द्वारा स्वीकृत की गयी हो।
- (vi) स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अनुरूप किसी उधारदात्री संस्था द्वारा स्वीकृत कोई ऋण सुविधा।

7. उधारदात्री संस्था द्वारा किया जाने वाला समझौता

कोई उधारदात्री संस्था अपने द्वारा प्रदत्त पात्र स्टैंड अप इंडिया ऋण सुविधाओं के संबंध में गारंटी के लिए पात्र नहीं होंगी जब तक कि वह एनसीजीटीसी द्वारा यथा अपेक्षित रूप में एनसीजीटीसी के साथ समझौता न किया हो।

8. स्कीम के अंतर्गत उधारदात्री संस्था के दायित्व

- (i) उधारदात्री संस्था भारतीय रिजर्व बैंक/निधि द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार स्टैंड अप इंडिया ऋण सुविधा का मूल्यांकन करेगी और उधार देने संबंधी सामान्य विवेक के अनुसार उधारकर्ताओं के खतों की जांच करेगी।

- (ii) उधारदात्री संस्था तिमाही के अंत में (मार्च, जून, सितम्बर तथा दिसम्बर में समाप्त तिमाही) राजपत्र अधिसूचना की तारीख को या इसके पश्चात् जारी स्वीकृतियों के प्रति प्रदत्त पात्र स्टैंड अप इंडिया ऋण सुविधाओं की बकाया राशि को बैच-वार समेकित करेगी और स्टैंड अप इंडिया उधार खाता के संबंध में गारंटी कवर देने के लिए एनसीजीटीसी द्वारा अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगी।
- (iii) सदस्य उधारदात्री संस्था (एमएलआई) को निम्नलिखित को प्रमाणित करने के लिए एक प्रबंधन प्रमाण-पत्र [जैसा कि मद 9(ii) में उल्लेख किया गया है] प्रस्तुत करना आवश्यक होगा:
- (क) स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अनुरूप तिमाही बैच में सभी खाते और ऐसी ऋण सुविधाएं राजपत्र अधिसूचना की तारीख या उसके पश्चात् स्वीकृत हो।
- (ख) आरंभिक बैच में कवर किए गए सभी खाते और बाद के बैच में मानक खाते के रूप में शामिल किए गए सभी नए खाते।
- (ग) सभी खातों जो बैच के भीतर एनपीए में परिवर्तित हो चुके हैं और जिनके लिए कोई दावा नहीं किया गया है, को बैच में शामिल किया गया है जिस पर गारंटी शुल्क देय है।
- (iv) ऋणदात्री संस्था उधारकर्ता खातों और पुनर्दायगी संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई की गहन निगरानी करेगी।
- (v) ऋणदात्री संस्था आधार नम्बर के साथ प्रत्येक स्टैंड-अप इंडिया ऋण सुविधा का यथा प्रयोज्य, लिंकेज सुनिश्चित करेगी और उपयुक्त ऋण सूचना ब्यूरो में उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता को पंजीकृत करेगी।
- (vi) ऋणदात्री संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि उधारकर्ता को दिए गए स्टैंड-अप इंडिया ऋण सुविधा के संबंध में गारंटी दावे इस संबंध में एनसीजीटीसी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट तरीके से और समय पर एनसीजीटीसी में दायर किए जाएं तथा उधारकर्ताओं के खाते में चूक को अधिसूचित करने में इसकी ओर से किसी प्रकार की देरी नहीं होगी जिससे निधि को उच्चतर गारंटी दावों का सामना करना पड़े।
- (vii) फंड द्वारा ऋणदात्री संस्था को गारंटी दावे के भुगतान से अनुप्रयोज्य ब्याज सहित उधारकर्ता से ऋण की समस्त बकाया राशि की वसूली का ऋणदात्री संस्था का उत्तरदायित्व समाप्त नहीं होगा। ऋणदात्री संस्था सभी प्रकार की सावधानी बरतेगी और अपने स्वामित्व वाली स्टैंड-अप इंडिया ऋण सुविधा की समस्त राशि के लिए उधारकर्ताओं के सम्पर्क में रहेगी तथा एनसीजीटीसी द्वारा सुझाई गई कार्रवाई सहित बकाया राशि की वसूली के लिए ऐसी कार्रवाई शुरू करेगी।
- (viii) ऋणदात्री संस्था गारंटीकृत खाते वसूली को सुकर बनाने या ऋण गारंटीदाता के रूप में अपने ब्याज की सुरक्षा 'जिसे एनसीजीटीसी सही समझे' के लिए समय-समय पर एनसीजीटीसी द्वारा जारी किए गए ऐसे निदेशों का अनुपालन करें और ऋणदात्री संस्था ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगी।
- (ix) ऋणदात्री संस्था किसी भी गारंटीकृत खाते के संबंध में देय राशियों की वसूली और इसके पास उपलब्ध सभी तरीके से निधि के ब्याज की सुरक्षा के लिए समुचित तत्परता बरतेगी जैसाकि उसके द्वारा सामान्य स्थिति में किया जाता है, यदि निधि द्वारा कोई गारंटी नहीं दी गई हो। ऋणदात्री संस्था विशेष रूप से गारंटी लागू करने से पूर्व या उसके पश्चात् किसी प्रकार की लोप की कार्रवाई से अलग रहेंगे, जो गारंटीदाता के रूप में निधि के हित को प्रतिकूल तरीके से प्रभावित कर सकता है। विशेष रूप से ऋणदात्री संस्थाओं को कोई समझौता या व्यवस्था करते समय एनसीजीटीसी को सूचित करना चाहिए जो व्यक्तिगत गारंटी (गारंटियों) या प्राथमिक प्रतिभूति के डिस्चार्ज या माफी को प्रभावित करेगा। इसके अतिरिक्त, ऋणदात्री संस्था चूककर्ता उधारकर्ताओं के नामों और एनसीजीटीसी में उनके विवरणों को प्रकाशित करने के अधिकार के लिए उधारकर्ता या अन्यथा के साथ समझौते के माध्यम से स्वयं या अपने द्वारा नियुक्त एजेंसी के माध्यम से निधियां प्राप्त करेगी।

अध्याय III

गारंटी शुल्क ढांचा

9. गारंटी शुल्क

- (i) गारंटी कवरेज प्राप्त करने के लिए सदस्य ऋणदात्री संस्था को अगली तिमाही अर्थात् जुलाई-सितम्बर, अक्तूबर-दिसम्बर, जनवरी-मार्च और अप्रैल-जून की समाप्ति से पूर्व तिमाही अप्रैल-जून, जुलाई-सितम्बर, अक्तूबर-दिसम्बर और जनवरी-मार्च में मंजूर किए गए ऋण प्रस्तावों के संबंध में गारंटी कवर के लिए आवेदन करना होगा। ऐसे सभी स्वीकृत मामले ही जिन्हें (पूर्णतया या आंशिक रूप से) संवितरित किया गया है, तिमाही बैचों में गारंटी कवर के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।

- (ii) सदस्य ऋणदात्री संस्था परिशिष्ट में दिए गए ब्यौरे के अनुसार स्वीकृत राशि का जोखिम आधारित गारंटी शुल्क अदा करेगी। ऐसा शुल्क प्रथम और अंतिम वर्ष के लिए समानुपातिक आधार पर और तिमाही की समाप्ति से 16 दिन के भीतर स्वीकृत ऋण सुविधा (सावधि ऋण और/या कार्यशील पूंजी सुविधा वाली) पर मध्यवर्ती वर्षों के लिए पूर्णतः देय होगा जिसमें यह ऋण सुविधा (उपर्युक्त पैरा सं. (i) में निर्धारित पैरामीटरों के अध्यक्षीन) मंजूर या नवीकृत की गई थी।

** सदस्य ऋणदात्री संस्था (एमएलआई) को तिमाही की समाप्ति से 10 दिन के भीतर प्रबंधन प्रमाण-पत्र देना होगा, जिसके पश्चात प्रबंधन प्रमाण-पत्र की प्राप्ति के 3 दिन के भीतर एनसीजीटीसी द्वारा क्रेडिट गारंटी डिमांड एडवाइस नोट जारी किया जाएगा और तदनंतर सीजीडीएन के जारी होने से 3 दिन के भीतर गारंटी शुल्क देय होगा।*

- (iii) बैच के भीतर सभी मामले जिसके लिए गारंटी शुल्क का एमएलआई द्वारा भुगतान किया गया है, स्टैण्ड-अप योजना के अंतर्गत पात्र पाए गए बैच के भीतर ऋण सुविधा के अध्यक्षीन क्रेडिट गारंटी स्कीम में शामिल किए जाएंगे।
- (iv) बैच में एनपीए खातों के संबंध में गारंटी शुल्क का ऐसे खातों के लिए दावे के दायर किए जाने तक भुगतान किया जाता रहेगा।
- (v) बशर्ते यह और कि निर्धारित समय के भीतर या ऐसे बढ़ाए गए समय, जो ऐसी शर्तों पर एनसीजीटीसी द्वारा सहमत हो, ऐसी ऋण सुविधा को गारंटी देने के लिए निधि की देयता उन ऋण सुविधाओं के संबंध में समाप्त हो जाएगी जिसके बदले गारंटी शुल्क देय है या उनका भुगतान न किया गया।
- (vi) राशि की संगणना या गारंटी शुल्क के परिकलन में खामी या विसंगति या कमी पाए जाने की स्थिति में ऐसी खामी या कमी को उस निधि को पात्र ऋणदात्री संस्था द्वारा ऐसी राशि पर ब्याज सहित 4% और बैंक रेट से अधिक भुगतान किया जाएगा। अधिक राशि का भुगतान किए जाने की स्थिति में उक्त राशि लौटा दी जाएगी। इस संबंध में ऋणदात्री संस्था द्वारा किसी भी प्रकार के अभ्यावेदन दिए जाने की स्थिति में एनसीजीटीसी अपने पास उपलब्ध जानकारी और ऋणदात्री संस्था से प्राप्त स्पष्टीकरणों के आधार पर निर्णय लेगा। इसके होते हुए भी, एनसीजीटीसी का निर्णय अंतिम और ऋणदात्री संस्था पर बाध्यकारी होगा।
- (vii) सदस्य ऋणदात्री संस्था द्वारा देय गारंटी शुल्क के बराबर की राशि इसके द्वारा पूर्णतः या अंशतः ऋणदाता और उधारकर्ता के बीच हुए समझौते के आधार पर वसूल की जा सकती है।
- (viii) एनसीजीटीसी को ऋणदात्री संस्था द्वारा एकबारगी भुगतान किया गया गारंटी शुल्क कतिपय परिस्थितियों को छोड़कर लौटाया नहीं जाएगा, जैसे
- (क) अत्यधिक विप्रेषण
- (ख) समान स्टैण्ड-अप इंडिया क्रेडिट सुविधा के बदले एक से अधिक बार किया गया विप्रेषण, और
- (ग) अदेय वार्षिक गारंटी शुल्क

अध्याय IV

गारंटियां

10. गारंटी की सीमा

अधिकतम 40 लाख रुपए के अध्यक्षीन 10 लाख रुपए से अधिक और 50 लाख रुपए तक की ऋण सुविधा के लिए चूक की राशि के 80% तक का गारंटी कवर इस निधि द्वारा प्रदान किया जाएगा।

50 लाख रुपए से अधिक और 100 लाख रुपए तक की सुविधा के लिए – चूक की राशि के 65 लाख रुपए की समग्र अधिकतम सीमा के अध्यक्षीन 40 लाख रुपए और 50 लाख रुपए से अधिक की चूक की राशि का 50%।

इसमें संशोधन करने का अधिकार इस निधि के पास सुरक्षित है। गारंटी कवर गारंटी शुल्क के भुगतान की तारीख से शुरू होगा और स्टैण्ड-अप इंडिया क्रेडिट सुविधा की सहमत अवधि तक जारी रहेगा।

बध्याय-V**दावे****11. गारन्टी लागू करना**

(i) यदि अनर्जक आस्तियां लॉक-इन अवधि में हैं, या अनर्जक आस्तियां लॉक-इन अवधि के बाद अथवा लॉक-इन अवधि के दो वर्ष के अन्दर हैं तो उधारदात्री संस्था स्टैंड अप इंडिया क्रेडिट सुविधाओं के संबंध में अनर्जक राशि की तिथि से अधिकतम दो वर्ष की अवधि के भीतर निम्नलिखित शर्तों के पूरा करने के बाद गारन्टी लागू कर सकती है:

क. खाते के अनर्जक आस्ति में बदलने के समय प्रभावी उस ऋण सुविधा के संबंध में गारन्टी।

ख. कवर की गई ऋण सुविधा के संबंध में गारन्टी कवर प्रारम्भ होने की तिथि से 18 महीने की लॉक-इन अवधि समाप्त हो गयी है।

ग. स्टैंड-अप इंडिया ऋण सुविधा के संबंध में उधारदात्री संस्था को बकाया और देय राशि का भुगतान नहीं किया गया है और जिस देय राशि को उधारदात्री संस्था द्वारा अनर्जक राशि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बशर्ते कि उधारकर्ता संस्था उक्त स्टैंड-अप इंडिया ऋण सुविधा के संबंध में उस निधि पर कोई दावा नहीं करेगी अथवा कोई दावा करने के लिए अधिकृत नहीं होगी, यदि उक्त ऋण सुविधा के संबंध में यह घाटा निधि द्वारा निर्गत किए गए दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए या प्रतिकूल लिए गए निर्णयों के कारण हुआ था।

घ. स्टैंड-अप इंडिया ऋण सुविधाएं और उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं के विरुद्ध समुचित विधि प्रक्रिया के अंतर्गत वसूली कार्रवाई आरंभ की गई है।

(ii) उधारदात्री संस्था द्वारा निधि द्वारा यथा निर्दिष्ट समय में और समयावधि के भीतर दावा किया जाना चाहिए।

(iii) दावे सभी तरह से सही एवं पूर्ण पाए जाने के अध्यक्षीन उधारदात्री संस्था द्वारा पात्र दावे को प्रस्तुत करके गारन्टीकृत राशि का 75 प्रतिशत तीस दिनों के अंदर न्यास भुगतान करेगा। तीस दिनों की अवधि बीतने के बाद विलम्ब की अवधि के लिए प्रचलित दर पर पात्र दावा राशि पर ब्याज का न्यास ऋणदात्री संस्था को भुगतान करेगा। उधारदात्री संस्था द्वारा वसूली कार्रवाई की समाप्ति पर गारन्टीकृत राशि का शेष 25 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा। दावे का भुगतान किए जाने पर न्यास को संबंधित उधारकर्ता के संबंध में लागू गारन्टी के कारण उसके समस्त दायित्वों से मुक्त हुआ समझा जाएगा।

(iv) चूक की स्थिति में, यदि कोई हो, उधारदात्री संस्था अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए उधारकर्ता की आस्ति और वसूली गई राशि, यदि कोई हो, को अपने अधिकार में कर लेगी अथवा अन्यथा ऐसी आस्ति की बिक्री से अन्यथा गारन्टीकृत राशि का शेष 25 प्रतिशत दावा किए जाने से पहले न्यास को सम्पूर्ण जमा किया जाएगा।

(v) मूल्य निर्धारण/नवीकरण/अनुवर्ती/ऋण सुविधा संबंधी कार्य अथवा एक से अधिक बार दावा किए जाने पर अथवा दावों के निपटान हेतु ऋणदात्री संस्था की ओर से किसी मौजूदा महत्वपूर्ण सूचना को छिपाए जाने के मामले में गंभीर विसंगतियां होने पर उधारदात्री संस्था से ऐसा अनुस्मरण (रि कॉल) किया जाता है तो उधारदात्री संस्था न्यास द्वारा जारी दावा का 4% प्रचलित बैंक दर पर की दण्डस्वरूप ब्याज दर के साथ वापस करने के लिए उत्तरदायी होगी। न्यास द्वारा मांग किए जाने पर ऐसी दण्डस्वरूप ब्याज दर को उधारदात्री संस्था न्यास द्वारा दावा किए जाने की प्रारंभिक तिथि से दावा वापस मिलने की तिथि तक का भुगतान करेगी।

12. अधिकारों का प्रतिस्थापन और भुगतान किए गए दावों के कारण वसूली।

(i) उधारदात्री संस्था अपने वसूली के प्रयासों, वसूलियों और ऐसी अन्य मांगी गई अथवा अपेक्षित सूचना का ब्यौरा न्यास को उपलब्ध कराएगी। उधारकर्ता को प्रदान की गई ऋण सुविधा उसकी ओर से और न्यास की ओर से आस्ति का धारणाधिकार उधारदात्री संस्था रखेगी। न्यास किसी प्रकार के अधिकारों का प्रतिस्थापन नहीं करेगा और आस्ति अधिग्रहण, आस्तियों की बिक्री आदि सहित देयराशि की वसूली की जिम्मेदारी उधारदात्री संस्था के पास रहेगी।

(ii) उधारकर्ता के उधारदात्री संस्था से अनेक भेद और अलग ऋण के कारण और इसके एक या कई ऋण का भुगतान करके चाहे उस खाते जिसके प्रति भुगतान किया जाता है वे खाते न्यास की गारंटी के द्वारा कवर किए गए हों या नहीं, उधारदात्री संस्था द्वारा ऐसे भुगतान को इस खंड के प्रयोजन हेतु गारंटी द्वारा कवर किए गए ऋण में विनियोजन किया माना जाएगा और ऐसे उधारकर्ता द्वारा उल्लिखित विनियोजन के तरीके या उस पद्धति जिसमें ऐसे भुगतान का वास्तव में विनियोजित किए जाते हैं, पर विचार किए बिना किसी दावे को प्रस्तुत किया गया है और उसका भुगतान किया गया।

(iii) वसूली गई प्रत्येक राशि और न्यास को भुगतान किए जाने वाली राशि का अविलम्ब भुगतान किया जाएगा और यदि न्यास को देय कोई राशि वसूली के प्रथम दिन से 30 दिन से अधिक समय की अवधि तक अदत्त रहती है तो न्यास को उधारदात्री संस्था द्वारा 4% से अधिक की बैंक दर से 30 दिन की उक्त अवधि के समाप्त होने के बाद बकाया राशि पर ब्याज देय होगा।

अध्याय-VI**प्रबंधन****गठन**

निधि की व्यवस्थापक द्वारा नियुक्त की गई प्रबंधन समिति होगी, जिसमें पदेन अध्यक्ष के रूप में सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग; सिडबी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष; तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एनसीजीटीसी सदस्य सचिव के रूप में शामिल होंगे।

अपनी पदेन क्षमता में यथोपरि नियुक्त सदस्य उस कार्यालय में रहने तक ही सदस्य रहेगा तथा उनके कार्यालय छोड़ने पर उनके उत्तराधिकारी बिना किसी कार्य या कार्रवाई के सदस्य बन जाएंगे।

यदि आवश्यक हो, तो व्यवस्थापक नई कारपोरेट संस्था को निगमित करते हुए या अन्यथा और प्रबंधन समिति के गठन में बदलाव ला सकते हैं और ऐसे समय तक प्रबंधन समिति के मौजूदा सदस्य बने रहेंगे।

निधि का सदस्य भारत का निवासी होगा। यदि वह स्थायी रूप से भारत छोड़ेगा या यदि अशक्तता या मानसिक अक्षमता की बीमारी के कारण सरकार के मतानुसार वह सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य है, तो सदस्य का कार्यालय खाली किया जायेगा।

सहयोजित सदस्य सरकार को लिखित में सूचना देने के सात दिन के पश्चात् किसी भी समय सेवानिवृत्त हो सकते हैं और यदि वह प्रबंधन समिति का अध्यक्ष नहीं है तो सूचना की एक प्रति अध्यक्ष को भी भेजी जाएगी।

प्रबंधन समिति (एमसी) का कार्य

प्रबंधन समिति (एमसी) योजना का पुनरीक्षण करने तथा निधि से संबंधित मामलों पर एनसीजीटीसी के बोर्ड को आवश्यक दिशानिर्देश प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगी। योजना की नीतियों तथा परिचालनात्मक मामलों के संबंध में एनसीजीटीसी का बोर्ड सक्षम प्राधिकारी होगा।

अध्याय-VII**विविध**

13. गारंटी लागू करने के पश्चात् ऋण सुविधा के संबंध में ऋणदात्री संस्था द्वारा वसूल की गई राशि का विनियोजन।

जहां इस योजना में शामिल प्रावधानों के अनुरूप चूक की राशि के लिए ऋणदात्री संस्था को निधि जारी करने के बाद ऋणदात्री संस्था अपने द्वारा प्रारंभ की गई वसूली कार्यवाही को पूरा करने के पश्चात् धन की वसूली करती है, धन की वसूली हेतु उनके द्वारा व्यय की गई कानूनी लागत का समायोजन करने के पश्चात् उसे ऋणदात्री संस्था में जमा किया जाएगा।

14. कुल्लेक मामलों में निधि की देयता को समाप्त किया जाना।

(i) इस योजना के तहत गारंटीकृत ऋण सुविधा के कारण ऋणदात्री संस्था के प्रति किसी उधारकर्ता की देयताओं को अंतरित किया जाता है या किसी अन्य उधारकर्ता को सौंपा जाता है और यदि उधारकर्ता की पात्रता संबंधी शर्तें ऋण उपलब्धता की राशि एवं किसी अन्य नियम और शर्तें, यदि कोई हो तो जिसके अध्यक्षीन योजना के तहत ऋण सुविधा की गारंटी दी जा सकती है, उक्त अंतरण या समनुदेशन के पश्चात् पूरी नहीं की जाती है तो ऋण सुविधा से संबंधित गारंटी को उक्त अंतरण या समनुदेशन की तारीख से समाप्त माना जाएगा।

(ii) यदि कोई उधारकर्ता इस योजना के तहत ऋण सुविधा प्रदान किए जाने हेतु अपात्र बन जाता है तो योजना के तहत किसी ऋणदात्री संस्था के द्वारा उसे प्रदान की गयी ऋण सुविधा संबंधी निधि की देयता उधारदाता के अपात्र बनने की तारीख से उधारदात्री संस्था के साथ उधारकर्ता की देयता के रूप में सीमित हो जाएगी, तथापि यह इस योजना के तहत निर्धारित निधि की देयता संबंधी सीमाओं के अध्यक्षीन होगी।

15. विवरणियां एवं निरीक्षण।

उधारदात्री संस्थाएं इस योजना के तहत गारंटी के संबंध में निधि के लिए यथा अपेक्षित ऐसे विवरण तथा सूचना प्रस्तुत करेंगी।

(i) उधारदात्री संस्था इस प्रकार के सभी दस्तावेज, पावतियां, प्रमाणपत्र एवं अन्य लेख, जिसकी आवश्यकता बाद में हो सकती है, एनसीजीटीसी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और यह पुष्टि किया गया समझा जाएगा कि कि ऐसे दस्तावेजों की विषय-वस्तु, पावतियां, प्रमाणपत्र एवं अन्य लेख सही हैं, बशर्ते कि कोई भी दावा अस्वीकार नहीं किया जाएगा और उधारदात्री संस्था या उसके किसी अधिकारी पर सद्भावपूर्वक किए गए किसी कार्य के लिए कोई देयता नहीं लगाई जाएगी।

(ii) जहां तक योजना के प्रयोजनों के लिए आवश्यक होगा, निधि को उधारदात्री संस्था तथा उधारदात्री संस्था के किसी उधारकर्ता की खाता बहियों तथा अन्य रिकॉर्डों (अग्रिमों का संचालन से संबंधित सामान्य दिशानिर्देशों को शामिल करने वाले दिशानिर्देशों की पुस्तिका या नियमावली या परिपत्र सहित) की जांच करने या प्रतियों की मांग करने का अधिकार होगा। ऐसी जांच निधि के अधिकारियों या निधि द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से की जा सकती है। उधारदात्री संस्था के प्रत्येक अधिकारी या

अन्य कर्मचारी या उधारकर्ता, जो ऐसा करने की स्थिति में हैं, मामले के अनुसार खाता बही तथा अन्य रिकॉर्डों एवं सूचना जो इसके अधिकार में है निधि के अधिकारियों या जांच के लिए नियुक्त किए गए व्यक्ति को उपलब्ध कराएगा।

16. उधारदात्री संस्था पर योजना के तहत लगाई जाने वाली आवश्यक शर्तें।

(i) निधि के द्वारा दी गई कोई भी गारंटी योजना के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित की जायेगी जैसा कि ऐसी गारंटी के साक्ष्य दस्तावेजों में लिखी गई थी।

(ii) उधारदात्री संस्था जहां तक संभव होगा यह सुनिश्चित करेगी कि योजना के तहत गारंटीकृत किसी खाते से संबंधित किसी इकरारनामे की शर्तें योजना के प्रावधानों के प्रतिकूल न हों परंतु किसी अन्य दस्तावेज या इकरारनामे में दिये गये किसी प्रावधान के होते हुए भी उधारदात्री संस्था का संबंध इस योजना के तहत लगायी गयी शर्तों से बंधी हुई निधि से रहेगा।

17. संशोधन तथा छूट:

(i) निधि के पास स्वयं इस योजना में संशोधन करने का, इसे रद्द करने का तथा बदलने का अधिकार सुरक्षित है इसलिए तथापि इससे उद्भूत या उस तारीख तक जिससे ऐसा संशोधन, निरसन या पुनःस्थापन प्रभावी होता है, योजना के तहत जारी गारंटी के तहत होने वाले अधिकारों या बाध्यताओं पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ii) इसमें अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निधि को एक खाते के संबंध में शर्तों एवं निबंधनों में परिवर्तन करने का अधिकार होगा जिसके संबंध में ऐसे परिवर्तन की तारीख को गारंटी जारी/लागू नहीं की गई है।

(iii) इस योजना को निरस्त किए जाने की स्थिति में, योजना के तहत कवर की गई सुविधाओं के संदर्भ में निधि के विरुद्ध तब तक कोई दावा नहीं किया जाएगा जब तक कि योजना में अंतर्विष्ट प्रावधानों का उधारदात्री संस्था द्वारा उस तिथि से पहले जिसको निरसन प्रभावी होता है, अनुपालन नहीं किया जाता है।

18. व्याख्या

यदि इस योजना के किसी प्रावधान अथवा निर्देशों या अनुदेशों या इसके संबंध में दिए गए स्पष्टीकरणों की व्याख्या के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो निधि का निर्णय अंतिम होगा।

19. अनुपूरक और सामान्य प्रावधान

किसी मामले जो विशेष रूप से इस योजना में न दिया गया हो, के संबंध में निधि योजना के प्रयोजनार्थ ऐसे अनुपूरक या अतिरिक्त प्रावधान बना सकती है या यथावश्यक ऐसे अनुदेश या स्पष्टीकरण जारी कर सकती है।

परिशिष्ट

विभेदक दरों पर गारंटी फीस की संरचना

विभेदक दरों पर गारंटी फीस संरचना सीजीटीएमएसई के मौजूदा डाटाबेस पर आधारित होगा और सीजीटीएमएसई द्वारा जारी दिनांक 28 जनवरी, 2016 के परिपत्र सं. 107/2015-16 के अनुसार होगा।

स्वीकृत राशि पर मानक आधार दर – 0.85% प्रति वर्ष

(1) गारंटी पोर्टफोलियों में एनपीए पर जोखिम प्रीमियम		(2) दावा भुगतान अनुपात पर जोखिम प्रीमियम	
एनपीए प्रतिशत	जोखिम प्रीमियम	दावा भुगतान प्रतिशत	जोखिम प्रीमियम
0-5%	SR	0-5%	SR
>5-10%	10% of SR	>5-10%	10% of SR
>10-15%	15% of SR	>10-15%	15% of SR
>15-20%	20% of SR	>15-20%	20% of SR
>20%	25% of SR	>20%	25% of SR

उपर्युक्त जोखिम प्रीमियम संरचना निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होगी:

1. इस तंत्र के अंतर्गत दरें अस्थिर होंगी और इनमें प्रत्येक वर्ष संबंधित बैंक के एनपीए स्तर और भुगतान अनुपातों के आधार पर परिवर्तन होगा।

2. एमएलआई में एनपीए प्रतिशत के साथ-साथ दावा भुगतान अनुपात 5% से अधिक है, दोनों वर्गों के अंतर्गत जोखिम प्रीमियम ऐसे एमएलआई पर लागू होगा।
3. जोखिम प्रीमियम की समीक्षा एक वार्षिक प्रयोग होगा और नई मंजूरी हेतु संशोधित जोखिम प्रीमियम प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन से लागू होगा।
4. जोखिम प्रीमियम का पता लगाने को ध्यान में रखते हुए एनपीए/दावा भुगतान अनुपात का प्रतिशत निर्धारित करने के लिए तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 30 सितम्बर की स्थिति के अनुसार सीजीटीएमएसई द्वारा सृजित डाटा गणना का आधार बनेगा। एमएलआई को सीजीटीएमएसई रिपोर्टों और उन पर लगने वाले जोखिम प्रीमियम के अनुसार उनसे संबंधित एनपीए प्रतिशत और दावा भुगतान अनुपात के बारे में प्रत्येक वर्ष जनवरी तक परामर्श दिया जाएगा।
5. एनपीए प्रतिशत और दावा भुगतान अनुपात की गणना के संबंध में आकलन करने के लिए यह उल्लेख किया जा सकता है कि राशि के अनुसार हालांकि एनपीए प्रतिशत की गणना सीजीटीएमएसई पोर्टल में रेखांकित एमएलआई द्वारा प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक संबंधित एनपीए के आधार पर होगी (उन्नत खातों की निवल राशि और खाते जहां एनपीए रेखांकित के संदर्भ में सीजीटीएमएसई को प्रभावित नहीं करेगा) (अर्थात् तदनुरूपी एनपीए खाते की गारंटी राशि) उपयुक्त दर्शाए गए अनुसार प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर की स्थिति के अनुसार न्यास द्वारा जारी संचयी गारंटियों की तुलना में प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर के अनुसार दावा भुगतान अनुपात और संचयी प्राप्ति (गारंटी और वार्षिक सेवा/वार्षिक गारंटी फीस रसीदें दावा के प्रथम निपटान के बाद, ओटीएस इतर वसूलियां और एमएलआई द्वारा हस्तांतरित वसूलियां) द्वारा संचित दावा निपटान के आधार पर तैयार किया जायेगा। संचयी प्राप्ति का 1.05 गुना तक संचयी दावे भुगतान के संबंध में उपर्युक्त तालिका में यथा सूचित जोखिम प्रीमियम नहीं लगाया जाएगा।

[फा. सं. 28/05/2016-सीपी/आईएफ-II]

पंकज जैन, संयुक्त सचिव(आईएफ)

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 2016

S.O. 1499(E).—In pursuance of the approval of the Cabinet vide its minutes of the meeting dated 6th January, 2016, the Central Government hereby makes the following scheme for the purpose of providing guarantees to loans extended under Stand Up India Scheme.

CHAPTER I
INTRODUCTION

Title and date of commencement

- (i) The Scheme shall be known as the Credit Guarantee Scheme for Stand Up India (CGSSI)
- (ii) It shall come into force from the date notified by the Government of India.
- (iii) The broad objective of the Fund would be to guarantee credit facilities of over Rs.10 lakh & upto Rs.100 lakh sanctioned by Scheduled Commercial Banks under the Stand Up India Scheme and other Lending Institutions.

1. Interest Rate

The Interest Rate to be charged by the Member Lending Institution should be the lowest applicable rate for the category (as per rating) and should not in any case, be more than 3% p.a. over the Base Rate + tenor premium, if any, for the loan”.

2. Definitions

For the purposes of this Scheme –

- (i) **“Stand Up India Scheme”** is the lending scheme as formulated and approved by Government of India.
- (ii) **"Amount in Default"** means the principal and interest amount outstanding in the account(s) of the borrower in respect of term loan and amount of outstanding working capital facilities (including interest), as on the date of the account becoming NPA, or the date of lodgement of claim application whichever is lower or such of the date as may be specified by NCGTC for preferring any claim against the guarantee cover subject to a maximum of amount guaranteed as mentioned in point no.10.

- (iii) **"Base Rate"** for a lending institution means the Base Rate so declared by that lending institution from time to time as per Reserve Bank of India guidelines based on which interest rate applicable for the loan will be determined.
- (iv) **"Primary security"** in respect of a credit facility shall mean the assets created out of the credit facility so extended and/or existing unencumbered assets which are directly associated with the project or business for which the credit facility has been extended.
- (v) **"Collateral security"** means the security provided in addition to primary security / personal obligation of borrower/co-borrower.
- (vi) **"Eligible borrower"** means Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes (ST) and Women entrepreneurs, above 18 years of age, setting up Green Field Enterprises in non-farm sector. In case of non-individual enterprises, 51% of the shareholding and controlling stake should be held by either SC/ST and/or Women Entrepreneur.
- (vii) **"Fund"** means the 'Credit Guarantee Fund for Stand Up India' (CGFSI) set up by Government of India with the purpose of guaranteeing assistance of above Rs.10 lakh particularly for SC/ST/Women (*relatively excluded sections of population*) for setting up Greenfield enterprises; extended by the eligible lending institution.
- (viii) **"Guarantee Cover"** means maximum cover available per eligible borrower of the amount in default in respect of the credit facility extended by the lending institution.
- (ix) **"Eligible Lending institution(s)"** means Scheduled Commercial Banks who meets eligibility criteria prescribed by the Fund and whose credit requirement does not exceed the specified limit. Specified limit of the assistance shall be above Rs.10 lakh & upto Rs.100 lakh inclusive of working capital component or such other amount as may be decided by the Fund from time to time.
- (x) **"Material Date"** means the date on which the guarantee fee on the amount covered in respect of eligible borrower becomes payable by the lending institution to the Fund.
- (xi) **"Credit Facility"** means any financial assistance by way of term loan and / or fund based and non-fund based working capital (e.g. Bank Guarantee, Letter of credit etc) facilities extended by the eligible lending institution to the eligible borrower.
- (xii) **"Non Performing Assets"** means an asset classified as a non-performing asset based on the instructions and guidelines issued by the Reserve Bank of India from time to time.
- (xiii) **"Scheme"** means the 'Credit Guarantee Scheme for Stand Up India.'
- (xiv) **"Lock-in-period"** means the period during which no invocation of guarantee can be made. A lock-in-period of 18 months has been stipulated from the date of commencement of guarantee cover or end of period of moratorium of interest, whichever is later.
- (xv) **NCGTC** means National Credit Guarantee Trustee Company set up on March 28, 2014 by Government of India under the Companies Act 1956 to act as the Trustee to operate various Credit Guarantee Funds, set up/to be set up by Government of India from time to time.

Accordingly, all matters pertaining to the operations of CGSSI would be undertaken by NCGTC on behalf of the said Fund Trust.

CHAPTER II

SCOPE AND EXTENT OF THE SCHEME

4. Guarantees by the Fund

- (i) Subject to the other provisions of the Scheme, the Fund undertakes, in relation to the credit facilities extended to an eligible borrower by an eligible lending institution which has entered into the necessary agreement for this purpose with the Fund, to provide guarantee against default in repayment of Stand Up India credit facilities extended by the lending institutions.
- (ii) The Fund reserves the discretion to accept or reject any proposal referred by a lending institution which otherwise satisfies the norms of the Scheme.

5. Stand Up assistance eligible under the Scheme:

The Trust shall cover assistance of over Rs.10 lakh & upto Rs.100 lakh inclusive of working capital extended by eligible lending institutions to a single eligible borrower on or after entering into an agreement with the Trust without any collateral security and/or third party guarantees or such amount as may be decided by the Trust from time to time.

Provided that, as on the material date,

- (i) The dues to the lending institution have not become bad or doubtful of recovery; and / or
- (ii) The business or activity of the borrower for which the credit facility was granted has not ceased; and / or
- (iii) The credit facility has not wholly or partly been utilised for adjustment of any debts deemed bad or doubtful of recovery, without obtaining a prior consent in this regard from the Trust.

6. Stand Up India Assistance not eligible under the Scheme

The following credit facilities shall not be eligible for being guaranteed under the Scheme: -

- (i) Any credit facilities in respect of which risks are additionally covered under a scheme operated / administered by Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation or the Reserve Bank of India, to the extent they are so covered.
- (ii) Any credit facilities in respect of which risks are additionally covered by Government or by any general insurer or any other person or association of persons carrying on the business of insurance, guarantee or indemnity, to the extent they are so covered.
- (iii) Any credit facilities, which does not conform to, or is in any way inconsistent with, the provisions of any law, or with any directives or instructions issued by the Central Government or the Reserve Bank of India, which may, for the time being, be in force.
- (iv) Any Credit facilities granted to any borrower, who has availed of any other composite loan covered under this Scheme or under the schemes mentioned in clause (i), (ii) and (iii) above, and where the lending institution has invoked the guarantee provided by the Trust or under the schemes mentioned in clause (i), (ii) and (iii) above, but has not repaid any portion of the amount due to the Trust or under the schemes mentioned in clause (i), (ii) and (iii) above, as the case may be, by reason of any default on the part of the borrower in respect of that composite loan.
- (v) Any credit facility which has been sanctioned by the lending institution against collateral security and / or third party guarantee.
- (vi) Any credit facility which has been sanctioned by the lending institution which is not conforming to the Stand Up India Scheme.

7. Agreement to be executed by the lending institution

A lending institution shall not be entitled to a guarantee in respect of eligible Stand Up India credit facilities granted by it unless it has entered into an agreement with NCGTC in such form as may be required by NCGTC.

8. Responsibilities of lending institution under the Scheme:

- (i) The lending institution shall evaluate Stand Up India credit facilities in accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India / the Fund and conduct the account(s) of the borrowers with normal lending prudence.
- (ii) The lending institution shall collate all its outstanding eligible Stand Up India-credit facilities extended against sanctions effected on or after the date of Gazette notification as at the end of a quarter (quarter ended March, June, September and December) into a batch and ensure to submit the information required by NCGTC for giving guarantee cover with regard to the Stand Up India borrowal account.
- (iii) The MLI would need to furnish a Management Certificate [as mentioned in point 9 (ii)] certifying the following:
 - (a) All accounts in the quarterly batch conform to the Stand Up India Scheme and such credit facilities were sanctioned on or after the date of Gazette notification.
 - (b) All accounts covered in the initial batch as well as new accounts added in the batch subsequently, are standard accounts.
 - (c) All accounts which have turned NPA within the batch and for which claim has not been lodged have been included in the batch on which the guarantee fee is payable.
- (iv) The lending institution shall closely monitor the borrower account and follow up for repayment.
- (v) The lending institution shall ensure, to the extent applicable, linkage of every Stand Up India credit facility with Aadhar number and register the borrower's/co-borrower's name with an appropriate credit information bureau.
- (vi) The lending institution shall ensure that the guarantee claim in respect of the Stand Up India credit facility given to the borrower is lodged with NCGTC in form and manner and within such time as may be specified by NCGTC in this regard and that there shall not be any delay on its part to notify the default in the borrowers account which shall result in the Fund facing higher guarantee claims.

- (vii) The payment of guarantee claim by the Fund to the lending institution does not in any way take away the responsibility of the lending institution to recover the entire outstanding amount of the credit from the borrower with applicable interest. The lending institution shall exercise all the necessary precautions and maintain its recourse to the borrower for entire amount of Stand Up India credit facility owed to it and initiate such necessary actions for recovery of the outstanding amount, including such action as may be advised by NCGTC.
- (viii) The lending institution shall comply with such directions as may be issued by NCGTC, from time to time, for facilitating recoveries in the guaranteed account, or safeguarding its interest as a credit guarantor, as NCGTC may deem fit and the lending institution shall be bound to comply with such directions.
- (ix) The lending institution shall, in respect of any guaranteed account, exercise the same diligence in recovering the dues, and safeguarding the interest of the Fund in all the ways open to it as it might have exercised in the normal course if no guarantee had been furnished by the Fund. The lending institution shall, in particular, refrain from any act of omission or commission, either before or subsequent to invocation of guarantee, which may adversely affect the interest of the Fund as the guarantor. In particular, the lending institution should intimate NCGTC while entering into any compromise or arrangement, which may have effect of discharge or waiver of personal guarantee(s) or primary security. Further, the lending institution shall secure for the Fund or its appointed agency, through a stipulation in an agreement with the borrower or otherwise, the right to publish the defaulted borrowers' names and particulars NCGTC.

CHAPTER III

GUARANTEE FEE STRUCTURE

9. Guarantee Fee

- (i) For availing the guarantee coverage, the Member Lending Institution shall apply for guarantee cover in respect of credit proposals sanctioned in the quarter April-June, July-September, October-December and January-March prior to expiry of the following quarter viz. July-September, October-December, January-March and April-June respectively. All such sanctioned cases which have been disbursed (fully or partially) would only be eligible for applying for guarantee cover in quarterly batches.
- (ii) The Member Lending Institution shall pay a risk based guarantee fee of the sanctioned amount as per details given in **Appendix**. Such fee shall be paid on pro-rata basis for the first and last year and in full for the intervening years on the credit facility sanctioned (comprising term loan and / or working capital facility) within 16 days* from the end of the quarter in which the credit facility was sanctioned (subject to parameters prescribed at para no.(i) above) or renewed.

**The MLI would need to furnish a Management Certificate within 10 days from the end of the quarter, after which, a Credit Guarantee Demand Advice Note [CGDAN] would be issued by NCGTC within 3 day of receipt of Management Certificate and subsequently, the guarantee fee shall be payable within 3 days from the issue of CGDAN.*

- (iii) All cases within the batch for which the guarantee fee has been paid by MLI, would be covered under the credit guarantee scheme subject to the credit facility within the batch being eligible under the Stand Up India Scheme.
- (iv) Guarantee fee with respect to NPA accounts in the batch would continue to be paid till lodgment of claim for such accounts.
- (v) Provided further that in the event of non-payment of Guarantee Fee within the stipulated time or such extended time that may be agreed to by NCGTC on such terms, liability of the Fund to guarantee such credit facility would lapse in respect of those credit facilities against which the Guarantee Fee are due and not paid,
- (vi) In the event of any error or discrepancy or shortfall being found in the computation of the amounts or in the calculation of the guarantee fee, such deficiency / shortfall shall be paid by the eligible lending institution to the Fund together with interest on such amount at a rate of 4% over and above the Bank Rate. Any amount found to have been paid in excess would be refunded by the Fund. In the event of any representation made by the lending institution in this regard, NCGTC shall take a decision based on the available information with it and the clarifications received from the lending institution. Notwithstanding the same, the decision of NCGTC shall be final and binding on the lending institution.
- (vii) The amount equivalent to the guarantee fee payable by the Member Lending Institution may be recovered by it, in full or in part, based on the agreement between the lender and the borrower
- (viii) The guarantee fee once paid by the lending institution to NCGTC is non-refundable, except under certain circumstances like -
 - a) Excess remittance,

- b) Remittance made more than once against the same Stand Up India credit facility, and
- c) Annual guarantee fee not due.

**CHAPTER IV
GUARANTEES**

10. Extent of the guarantee

The Fund shall provide guarantee cover to the extent of 80% of the amount in default for credit facility above Rs.10 lakh and upto Rs.50 lakh, subject to a maximum of Rs.40 lakh.

For credit facility above Rs.50 lakh and upto Rs.100 lakh - Rs.40 lakh plus 50% of amount in default above Rs.50 lakh subject to overall ceiling of Rs.65 lakh of the amount in default.

The Fund reserves the right to modify the same. The guarantee cover will commence from the date of payment of guarantee fee and shall run through the agreed tenure of the Stand Up India credit facilities.

**CHAPTER V
CLAIMS**

11. Invocation of guarantee

- (i) The lending institution may invoke the guarantee in respect of Stand Up India—credit facilities within a maximum period of two years from the date of NPA, if NPA is after lock-in period or within two years of lock-in period, if NPA is within lock-in period, after the following conditions are satisfied: -
 - a. The guarantee in respect of that credit facility was in force at the time of account turning NPA.
 - b. The lock-in period of 18 months from the date of commencement of guarantee cover in respect of credit facility covered, has elapsed;
 - c. The amount due and payable to the lending institution in respect of the Stand Up India credit facility has not been paid and the dues have been classified by the lending institution as Non-Performing Asset. Provided that the lending institution shall not make or be entitled to make any claim on the Fund in respect of the said Stand Up India credit facility, if the loss in respect of the said credit facility had occurred owing to actions / decisions taken contrary to or in contravention of the guidelines issued by the Fund.
 - d. The Stand Up India credit facilities has been recalled and the recovery proceedings have been initiated under due process of law against the borrower(s) / co-borrower(s).
- (ii) The claim should be preferred by the lending institution in such manner and within such time as may be specified by the Fund in this behalf.
- (iii) The Trust shall pay 75 per cent of the guaranteed amount on preferring of eligible claim by the lending institution, within 30 days, subject to the claim being otherwise found in order and complete in all respects. The Trust shall pay to the lending institution interest on the eligible claim amount at the prevailing Bank Rate for the period of delay beyond 30 days. The balance 25 per cent of the guaranteed amount will be paid on conclusion of recovery proceedings by the lending institution. On a claim being paid, the Trust shall be deemed to have been discharged from all its liabilities on account of the guarantee in force in respect of the borrower concerned.
- (iv) In the event of default the lending institution shall exercise its rights, if any, to takeover the assets of the borrowers and the amount realised, if any, from the sale of such assets or otherwise shall first be credited in full by the lending institutions to the Trust before it claims the remaining 25 per cent of the guaranteed amount.
- (v) The lending institution shall be liable to refund the claim released by the Trust together with penal interest at the rate of 4% above the prevailing Bank Rate, if such a recall is made by the Trust in the event of serious deficiencies having existed in the matter of appraisal / renewal / follow-up / conduct of the credit facility or where lodgement of the claim was more than once or where there existed suppression of any material information on part of the lending institutions for the settlement of claims. The lending institution shall pay such penal interest, when demanded by the Trust, from the date of the initial release of the claim by the Trust to the date of refund of the claim.

12. Subrogation of rights and recoveries on account of claims paid

- (i) The lending institution shall furnish to the Trust, the details of its efforts for recovery, realisations and such other information as may be demanded or required from time to time. The lending institution will hold lien on assets created out of the credit facility extended to the borrower, on its own behalf and on behalf of the Trust. The

Trust shall not exercise any subrogation rights and that the responsibility of the recovery of dues including takeover of assets, sale of assets, etc., shall rest with the lending institution;

- (ii) In the event of a borrower owing several distinct and separate debts to the lending institution and making payments towards any one or more of the same, whether the account towards which the payment is made is covered by the guarantee of the Trust or not, such payments shall, for the purpose of this clause, be deemed to have been appropriated by the lending institution to the debt covered by the guarantee and in respect of which a claim has been preferred and paid, irrespective of the manner of appropriation indicated by such borrower or the manner in which such payments are actually appropriated.
- (iii) Every amount recovered and due to be paid to the Trust shall be paid without delay, and if any amount due to the Trust remains unpaid beyond a period of 30 days from the date on which it was first recovered, interest shall be payable to the Trust by the lending institution at the rate which is 4% above Bank Rate for the period for which payment remains outstanding after the expiry of the said period of 30 days.

CHAPTER VI MANAGEMENT

Constitution

The Fund shall have a Management Committee to be appointed by the Settlor of the Fund consisting of Secretary, DFS as the ex-officio Chairperson; Chairman and Managing Director of SIDBI, Chairman of Indian Banks' Association; and Chief Executive Officer, NCGTC as Member Secretary.

A member appointed as above in his/her ex-officio capacity shall remain as a member only as long as he/she holds that office and upon his/her vacating that office, his/her successor shall become a member without any further act or deed.

The Settlor may, if required, change the constitution of the Management Committee by incorporating a new corporate entity or otherwise and till such time the existing members of the Management Committee will continue.

The member of the Fund shall be resident of India. The office of the member shall be vacated if he shall permanently leave India or if for reasons of illness of infirmity or mental incapacity he, in the opinion of the Government, becomes incompetent or incapable to act, as Member.

A co-opted member may retire at any time after giving seven days' notice in writing to the Government and unless he is the Chairperson of the Management Committee, a copy of the notice shall also be sent to Chairperson.

Functions of Management Committee (MC)

The M.C. will be responsible for reviewing the Scheme and providing necessary guidance to the Board of NCGTC on the matters related to the Fund. The Board of NCGTC would be the competent authority related to all the policy and operational matters of the Scheme.

CHAPTER VII MISCELLANEOUS

13. Appropriation of amount realised by the lending institution in respect of a credit facility after the guarantee has been invoked.

Where subsequent to the Fund having released a sum to the lending institution towards the amount in default in accordance with the provisions contained in this scheme, the lending institution recovers money subsequent to the recovery proceedings initiated by it, the same shall be deposited by the lending institution with the Fund, after adjusting towards the legal costs incurred by it for recovery of the amount.

14. Fund's liability to be terminated in certain cases

- (i) If the liabilities of a borrower to the lending institution on account of credit facility guaranteed under this Scheme are transferred or assigned to any other borrower and if the conditions as to the eligibility of the borrower, the amount of the credit facility and any other terms and conditions, if any, subject to which the credit facility can be guaranteed under the Scheme are not satisfied after the said transfer or assignment, the guarantee in respect of the credit facility shall be deemed to be terminated as from the date of the said transfer or assignment.
- (ii) If a borrower becomes ineligible for being granted credit facility under the Scheme, the liability of the Fund in respect of credit facility granted to him by a lending institution under the Scheme shall be limited to the liability of the borrower to the lending institution as on the date on which the borrower becomes so ineligible, subject, however, to the limits on the liability of the Fund fixed under this Scheme.

15. Returns and Inspections

The lending institution shall submit such statements and furnish such information as the Fund may require in connection with guarantee under this Scheme.

- (i) The lending institution shall also furnish to NCGTC all such documents, receipts, certificates and other writings as the latter may require and shall be deemed to have affirmed that the contents of such documents, receipts, certificates and other writings are true, provided that no claim shall be rejected and no liability shall attach to the lending institution or any officer thereof for anything done in good faith.
- (ii) The Fund shall, insofar as it may be necessary for the purposes of the Scheme, have the right to inspect or call for copies of the books of account and other records (including any book of instructions or manual or circulars covering general instructions regarding conduct of advances) of the lending institution, and of any borrower from the lending institution. Such inspection may be carried out through the officers of the Fund or any other person appointed by the Fund for the purpose of inspection. Every officer or other employee of the lending institution or the borrower, who is in a position to do so, shall make available to the officers of the Fund or the person appointed for the inspection as the case may be, the books of account and other records and information which are in his possession.

16. Conditions imposed under the Scheme to be binding on the lending institution

- (i) Any guarantee given by the Fund shall be governed by the provisions of the Scheme as if the same had been written in the documents evidencing such guarantee.
- (ii) The lending institution shall as far as possible ensure that the conditions of any contract relating to an account guaranteed under the Scheme are not in conflict with the provisions of the Scheme but notwithstanding any provision in any other document or contract, the lending institution shall in relation to the Fund be bound by the conditions imposed under the Scheme.

17. Modifications and exemptions

- (i) The Fund reserves to itself the right to modify, cancel or replace the scheme so, however, that the rights or obligations arising out of, or accruing under a guarantee issued under the Scheme up to the date on which such modification, cancellation or replacement comes into effect, shall not be affected.
- (ii) Notwithstanding anything herein contained, the Fund shall have a right to alter the terms and conditions of the Scheme in regard to an account in respect of which guarantee has not been issued / invoked as on the date of such alteration.
- (iii) In the event of the Scheme being cancelled, no claim shall lie against the Fund in respect of facilities covered by the Scheme, unless the provisions contained in the Scheme are complied with by the lending institution prior to the date on which the cancellation comes into force.

18. Interpretation

If any question arises in regard to the interpretation of any of the provisions of the Scheme or of any directions or instructions or clarifications given in connection therewith, the decision of the Fund shall be final.

19. Supplementary and general provisions

In respect of any matter not specifically provided for in this Scheme, the Fund may make such supplementary or additional provisions or issue such instructions or clarifications as may be necessary for the purpose of the Scheme.

Appendix**Guarantee Fee Structure on Differential Rates**

The Guarantee Fee Structure on Differential Rates will be based on the existing database of CGTMSE and in accordance with the Circular No. 107/ 2015-16 dated January 28, 2016 issued by CGTMSE

Standard Basic Rate – 0.85% p.a. on the sanctioned amount

(1) Risk premium on NPAs in Guaranteed portfolio		(2) Risk premium on Claim Payout Ratio	
NPA Percentage	Risk Premium	Claim Payout Percentage	Risk Premium
0-5%	SR	0-5%	SR

>5-10%	10% of SR	>5-10%	10% of SR
>10-15%	15% of SR	>10-15%	15% of SR
>15-20%	20% of SR	>15-20%	20% of SR
>20%	25% of SR	>20%	25% of SR

The above Risk premium structure would be governed by the following:

1. The rates under this mechanism will be floating and will undergo changes every year based on the NPA level and payout ratios of the concerned Bank.
2. The MLIs having NPA percentage as well as claim payout ratio more than 5%, the risk premium under both the categories shall be applicable to such MLIs.
3. The review of risk premium would be an annual exercise and the revised risk premium would be applicable from the first day of each financial year for fresh sanction.
4. For working out the percentages of NPAs/claim pay-out ratio with a view to arrive at the risk premium, the data generated by CGTMSE as on September 30 of immediately preceding financial year would form the basis of calculation. The MLIs would be advised by **January** every year about their respective NPA percentage and claim pay-out ratio as per the CGTMSE records and the risk premium applicable to them.
5. As regards calculation of NPA percentages and claim pay-out ratio, it may be mentioned that while NPA percentage would be worked on the basis of cumulative NPAs upto September 30 each year as marked by the MLI in CGTMSE portal (net of upgraded accounts and the accounts where the claims would not hit CGTMSE in respect of the NPAs marked) in terms of amount (i.e. Guaranteed amount of the corresponding NPA account) vis-à-vis the cumulative guarantees issued by the Trust as on September 30 every year as indicated above, the claim pay-out ratio would be worked out on the basis of cumulative claims settled by the Trust and the cumulative receipts (includes Guarantee and Annual Service /Annual Guarantee Fee receipts, recoveries out of OTS and recoveries passed on by MLIs after first settlement of claim) as on September 30 each year. The cumulative claims paid upto 1.05 times of the cumulative receipts will not attract any risk premium as indicated in the table above.

[F. No. 28/05/2016-CP/IF-II]

PANKAJ JAIN, Jt. Secy. (IF)